भारत: विश्व स्तनपान सप्ताह

(1-7 अगस्त 2026)

जीवन की सतत शुरुआत के लिए स्तनपान: जो कारगर है उसे और मजबूत बनाएं

विश्व स्तनपान सप्ताह 2026 के उद्देश्य

- शिशुओं और छोटे बच्चों के पोषण (आईवाईसीएफ) के एक स्थायी तरीके के रूप में स्तनपान के बारे में परिवारों और समुदायों को सूचित करना।
- स्तनपान की रक्षा, प्रोत्साहन और समर्थन के लिए मजबूत नीतियों और कार्यक्रमों की वकालत करना।
- स्तनपान के लिए अनुकूल वातावरण बनाने हेतु सरकारों, पेशेवर संगठनों, समुदायों और व्यक्तियों के बीच सहयोग को मजबूत करना।

BP-33, Pitampura, Delhi-110034 +91-11-42683059 bpni@bpni.org @bpniindia

परिचय

इस वर्ष के विश्व स्तनपान सप्ताह का विषय, "जीवन की सतत शुरुआत के लिए स्तनपान: कारगर उपायों को सुदृढ़ बनाना," शिशु के जीवित रहने, पोषण और विकास में सुधार लाने के साथ-साथ मातृ स्वास्थ्य और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्तनपान को सबसे प्रभावी उपायों में से एक मानता है। स्तनपान शिशुओं को विनिर्माण, पैकेजिंग या परिवहन की आवश्यकता के बिना सुरक्षित, पौष्टिक और पर्यावरण के अनुकूल भोजन प्रदान करता है, जिससे पर्यावरणीय प्रभाव कम होता है।

हालांकि, स्तनपान केवल मां के प्रयासों से ही सफल नहीं होता। इसके लिए एक सहायक वातावरण की आवश्यकता होती है।

ऐसा वातावरण जहां परिवार, समुदाय, कार्यस्थल, स्वास्थ्य व्यवस्था और सरकारें मिलकर स्तनपान की रक्षा, प्रोत्साहन और समर्थन के लिए काम करें। कुशल परामर्श, मातृत्व सुरक्षा, स्तनपान के अनुकूल अस्पताल, शिशु दूध विकल्प (आईएमएस) अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन और मजबूत सामुदायिक समर्थन हर मां को सफलतापूर्वक स्तनपान कराने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हैं।

विश्व स्तनपान सप्ताह 2026 इन प्रणालियों को मजबूत करने और यह सुनिश्चित करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत करने का एक अवसर है कि प्रत्येक बच्चे को जीवन में सबसे स्वस्थ और सबसे टिकाऊ शुरुआत मिले।

भारत में स्तनपान प्रथाओं की स्थिति

वैश्विक और राष्ट्रीय अनुशंसाओं के अनुसार, जन्म के एक घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करना, पहले छह महीनों तक केवल स्तनपान कराना और दो साल की उम्र तक और उससे आगे भी उचित पूरक आहार के साथ स्तनपान जारी रखना आवश्यक है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-6, 2023-24) के निष्कर्षों से पता चलता है कि भारत ने संस्थागत प्रसव और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के कई संकेतकों में उत्साहजनक प्रगति की है। हालांकि, शिशु एवं शिशु पोषण (आईवाईसीएफ) के प्रमुख संकेतकों पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।
राष्ट्रीय स्तर पर, स्तनपान की शीघ्र शुरुआत की दर में सुधार होकर 50.1% हो गई है, फिर भी प्रत्येक दो नवजात शिशुओं में से एक जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान से वंचित रह जाता है। इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि छह महीने से कम उम्र के शिशुओं में केवल स्तनपान कराने की दर में गिरावट आई है, जो NFHS-5 में 63.7% से घटकर NFHS-6 में 55.8% हो गई है।

इसके अलावा, 6-23 महीने की आयु के केवल 15.3% बच्चों को ही न्यूनतम स्वीकार्य आहार प्राप्त होता है, जो पूरक आहार में लगातार मौजूद कमियों को उजागर करता है।

कई राज्यों में प्रारंभिक स्तनपान में गिरावट दर्ज की गई है, उदाहरण के लिए दिल्ली और ओडिशा, जबकि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और ओडिशा में अनन्य स्तनपान में गिरावट आई है।

ये निष्कर्ष स्तनपान संबंधी परामर्श को मजबूत करने, अस्पताल की कार्यप्रणाली में सुधार करने, परिवारों को शिशु आहार के वाणिज्यिक प्रचार से बचाने, मातृत्व सुरक्षा का विस्तार करने और मजबूत सामुदायिक सहायता प्रणालियों का निर्माण करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं ताकि प्रत्येक माँ को सफलतापूर्वक स्तनपान कराने के लिए आवश्यक सहायता मिल सके।

भारत में अनन्य स्तनपान की दरों में रुझान (%)

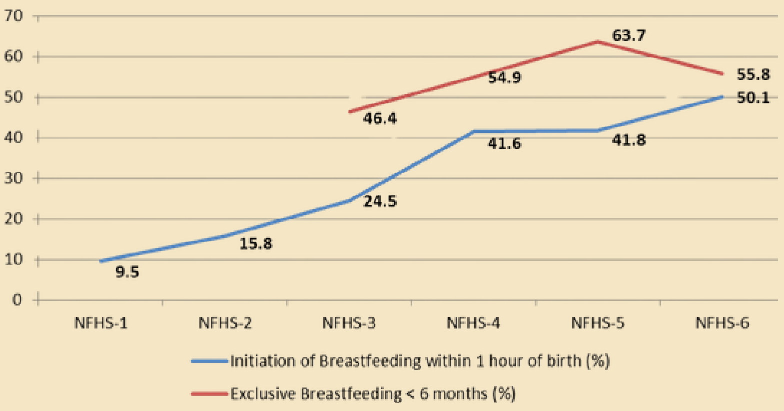

स्तनपान की प्रारंभिक शुरुआत और संस्थागत प्रसव में रुझान (%)

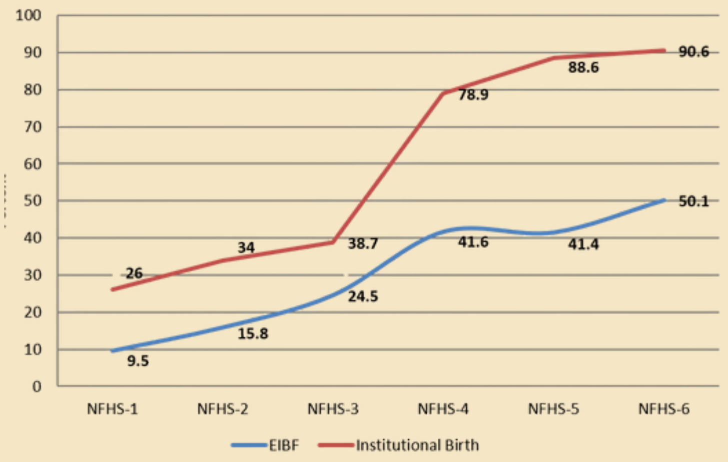

डब्ल्यूबीटीआई इंडिया 2025 रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

विश्व स्तनपान रुझान पहल (डब्ल्यूबीटीआई) भारत 2025 रिपोर्ट, स्तनपान और शिशु एवं शिशु पोषण (आईवाईसीएफ) की सुरक्षा, संवर्धन और समर्थन के लिए भारत की नीतियों और कार्यक्रमों का 10 संकेतकों पर व्यापक मूल्यांकन प्रदान करती है। भारत के स्तनपान संवर्धन नेटवर्क (बीपीएनआई) द्वारा समन्वित, पारदर्शी, बहु-भागीदार और साक्ष्य-आधारित मूल्यांकन के माध्यम से तैयार की गई यह रिपोर्ट, स्तनपान नीतियों और परिणामों में सुधार के लिए मजबूत पहलुओं, कार्यान्वयन में कमियों और प्राथमिकता संबंधी सिफारिशों की पहचान करती है।

इस मूल्यांकन में तीन प्राथमिकता वाले संकेतकों पर प्रकाश डाला गया है जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है:
स्वास्थ्य सुविधाओं में स्तनपान संबंधी सहायता को मजबूत करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रत्येक मां को जन्म से ही कुशल सहायता प्राप्त हो।
स्तनपान को संरक्षित करने के लिए आईएमएस अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन आवश्यक है ताकि स्तनपान के विकल्प, फीडिंग बोतल और शिशु आहार के अनुचित वाणिज्यिक प्रचार को रोका जा सके।
मातृत्व सुरक्षा को मजबूत करें ताकि प्रत्येक कामकाजी मां को स्तनपान जारी रखने के लिए पर्याप्त समय, आय सुरक्षा और कार्यस्थल पर सहायता मिल सके।

ये प्राथमिकता वाली कार्रवाइयां भारत में स्तनपान की सर्वोत्तम प्रथाओं की दिशा में प्रगति को तेज करने और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए एक रोडमैप प्रदान करती हैं।

सर्वोत्तम स्तनपान प्रथाओं के लिए स्तनपान संबंधी नीतियों और कार्यक्रमों को मजबूत करें।

स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए अस्पताल की प्रक्रियाओं में सुधार करना

स्तनपान एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन यह एक सीखा हुआ कौशल भी है जिसके लिए अक्सर समय पर सहायता की आवश्यकता होती है। जन्म के बाद के शुरुआती घंटे और दिन स्तनपान स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। माताओं को स्तनपान जल्दी शुरू करने और इसे जारी रखने के लिए कुशल परामर्श, प्रोत्साहन और व्यावहारिक सहायता की आवश्यकता होती है।

संस्थागत प्रसव की उच्च दर के बावजूद, कई स्वास्थ्य सुविधाएं अभी भी ऐसी चुनौतियों का सामना कर रही हैं जो स्तनपान को बाधित करती हैं। इनमें अपर्याप्त अस्पताल नीतियां, प्रशिक्षित स्तनपान परामर्शदाताओं की सीमित उपलब्धता, कर्मचारियों का अपर्याप्त प्रशिक्षण, जन्म के बाद स्तनपान की शुरुआत में देरी, मां और शिशु को अनावश्यक रूप से अलग करना, शिशु फार्मूला का अनुचित उपयोग, स्तनपान परामर्श के लिए अपर्याप्त स्थान और शिशु आहार कंपनियों का निरंतर व्यावसायिक प्रभाव शामिल हैं।

स्तनपान संरक्षण नीति के रूप में आईएमएस अधिनियम को लागू करना

शिशु फार्मूला, फीडिंग बोतल और शिशु आहार का व्यावसायिक प्रचार-प्रसार स्तनपान की सर्वोत्तम प्रथाओं को लगातार कमजोर कर रहा है। हालांकि भारत में शिशु दूध विकल्प, फीडिंग बोतल और शिशु आहार (उत्पादन, आपूर्ति और वितरण विनियमन) अधिनियम, 1992 (2003 में संशोधित) के माध्यम से स्तनपान को व्यावसायिक प्रभाव से बचाने के लिए विश्व के सबसे मजबूत कानूनी ढांचों में से एक है, फिर भी इसका कार्यान्वयन असंगत बना हुआ है।

आईएमएस अधिनियम 2 वर्ष की आयु तक के शिशुओं के लिए शिशु फार्मूला, फॉलो-ऑन फूड और फीडिंग उपकरणों के प्रचार को किसी भी प्रकार के मीडिया के माध्यम से प्रतिबंधित करता है और इसमें शिशु फार्मूला और खाद्य पदार्थों की लेबलिंग के लिए भी नियम हैं।

लेकिन दुर्भाग्यवश, स्वास्थ्य सुविधाओं, डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर एंडोर्समेंट, छूट और शिशु आहार संबंधी निर्णयों को प्रभावित करने वाली अन्य प्रचार गतिविधियों के माध्यम से आईएमएस अधिनियम के उल्लंघन की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। डब्ल्यूबीटीआई इंडिया 2025 रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि कमजोर निगरानी, सीमित प्रवर्तन और अपर्याप्त जवाबदेही प्रभावी कार्यान्वयन में प्रमुख बाधाएं बनी हुई हैं।

स्तनपान की सुरक्षा के लिए सरकारों, स्वास्थ्य संस्थानों, पेशेवर निकायों और नागरिक समाज द्वारा समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि माताओं को अनुचित व्यावसायिक प्रभाव से मुक्त निष्पक्ष जानकारी प्राप्त हो।

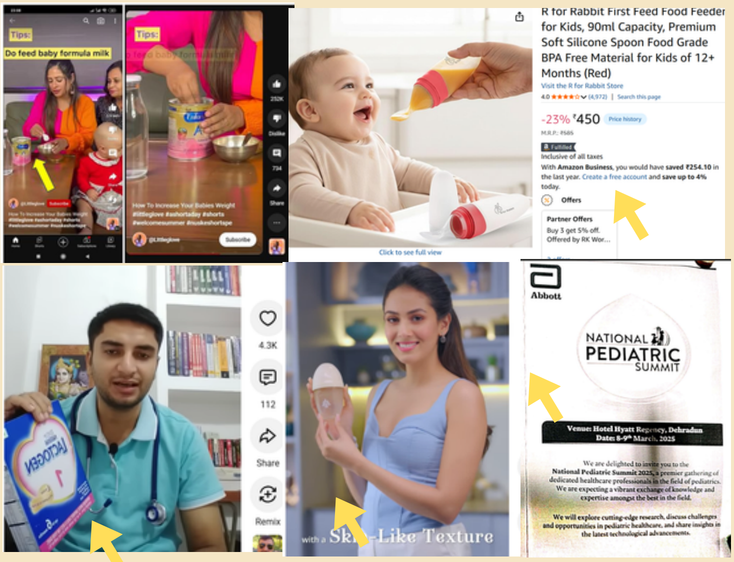

स्तनपान की सुरक्षा की शुरुआत परिवारों को अनुचित व्यावसायिक प्रचार से बचाने से होती है। शिशु एवं शिशु आहार संबंधी सटीक और निष्पक्ष जानकारी माता-पिता तक पहुंचाने के लिए आईएमएस अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन आवश्यक है।

सभी माताओं के लिए मातृत्व सुरक्षा लागू करना

भारत का संविधान अनुच्छेद 42 के तहत राज्य को न्यायसंगत और मानवीय कार्य परिस्थितियों तथा मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करने का निर्देश देता है। मातृत्व संरक्षण माताओं को स्तनपान शुरू करने और जारी रखने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है, विशेष रूप से जीवन के पहले छह महीनों के दौरान।

भारत ने मातृत्व लाभ अधिनियम (1961, 2017 में संशोधित) के माध्यम से स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जो पात्र महिलाओं को पहले दो बच्चों के लिए 26 सप्ताह का सवैतनिक मातृत्व अवकाश, स्तनपान के लिए अवकाश, 50 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में शिशुगृह की सुविधा और जहां संभव हो, घर से काम करने की सुविधा प्रदान करता है। इसके पूरक के रूप में, मदर्स एब्सोल्यूट (मातृत्व पूर्ण आर्थिक सहायता) अधिनियम भी लागू है।

स्नेह (एमएए) कार्यक्रम स्वास्थ्य प्रणाली के भीतर परामर्श और कुशल सहायता के माध्यम से स्तनपान को बढ़ावा देता है, जबकि प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) पात्र गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आंशिक मजदूरी मुआवजा प्रदान करती है।

इन पहलों के बावजूद, महत्वपूर्ण कमियां अभी भी बनी हुई हैं। अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा मातृत्व लाभों से वंचित है। नियोक्ताओं और कर्मचारियों दोनों में मातृत्व अधिकारों के बारे में जागरूकता सीमित है, और कई कार्यस्थलों में अभी भी स्तनपान के अनुकूल सुविधाएं और वातावरण का अभाव है।

हर कामकाजी माँ को स्तनपान कराने के लिए समय, सुरक्षा और सहयोग मिलना चाहिए। मातृत्व सुरक्षा में निवेश करना स्वस्थ बच्चों, स्वस्थ माताओं और स्वस्थ कार्यबल में निवेश करना है।

विश्व स्तनपान सप्ताह 2026
कार्य संबंधी विचार

सरकारी विभाग

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) सार्वजनिक और निजी अस्पतालों के लिए आईएमएस अधिनियम और एमएए कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर राज्य और जिला स्तर पर जागरूकता सत्र आयोजित कर सकता है, जिसमें एनएफएचएस-6 में स्तनपान की शीघ्र शुरुआत में गिरावट दिखाने वाले राज्यों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

एफएसएसएआई राज्य स्तर पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के लिए आईएमएस अधिनियम के प्रावधानों, दंडों और कार्यान्वयन में उनकी भूमिका पर कार्यशालाएं आयोजित कर सकता है और आईएमएस अधिनियम को सख्ती से लागू कर सकता है।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (MoLE) अनौपचारिक और औपचारिक दोनों कार्यस्थलों पर मातृत्व सुरक्षा नीतियों, प्रावधानों और स्तनपान सहायता के बारे में जागरूकता और कार्यान्वयन को मजबूत कर सकता है और शिकायत निवारण पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की समीक्षा कर सकता है।

स्वास्थ्य सुविधाएं

स्तनपान नीति विकसित करें और स्तनपान प्रथाओं की निगरानी के लिए एक समिति का गठन करें। प्रसवपूर्व गर्भावस्था (एएनसी) अवधि में स्तनपान संबंधी परामर्श शुरू करें और गर्भवती महिलाओं और उनके परिवारों को इसके प्रति जागरूक करें।

मातृत्व सेवाएं प्रदान करने वाले सभी सार्वजनिक और निजी अस्पतालों को स्तनपान के अनुकूल अस्पताल मूल्यांकन करना होगा और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए देखभाल के मानक के रूप में मान्यता प्राप्त करनी होगी।
अधिक जानकारी के लिए bfhi-india.in पोर्टल देखें।

नागरिक समाज और समुदाय

शिशु फार्मूला, फीडिंग बोतल और शिशु आहार के अनुचित प्रचार की रिपोर्ट जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी को भेजें और इसकी एक प्रति सीईओ, एफएसएसएआई और बीपीएनआई को bpni@bpni.org पर भेजें।

गर्भावस्था की योजना बना रहे परिवारों को अपने शिशुओं के सर्वोत्तम विकास के लिए स्तनपान के अनुकूल प्रसूति अस्पतालों का चयन करना चाहिए और इसकी मांग करनी चाहिए। गर्भावस्था के दौरान ही स्तनपान संबंधी परामर्श लेना शुरू कर दें।

अपने संपर्कों और समुदायों में मातृत्व लाभ अधिनियम और अन्य मातृत्व अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाएं। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली कामकाजी महिलाओं को प्रोत्साहित करें कि वे अपने मातृत्व अधिकारों के किसी भी उल्लंघन या हनन की रिपोर्ट samadhan.labour.gov.in पोर्टल पर करें।

bpni
putting child nutrition at the forefront of social change

IBFAN
defending breastfeeding

भारत का स्तनपान प्रोत्साहन नेटवर्क (बीपीएनआई)

पता: बीपी-33, पीतमपुरा, दिल्ली 110 034. फोन: +91-11-42683059

bpni@bpni.org http://www.bpni.org

@bpniindia @bpni.org

https://www.youtube.com/user/bpniindia

बीपीएनआई के बारे में

भारत का स्तनपान प्रोत्साहन नेटवर्क (बीपीएनआई) 34 वर्ष पुराना पंजीकृत, स्वतंत्र, गैर-लाभकारी राष्ट्रीय संगठन है जो शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए स्तनपान और उचित पूरक आहार की सुरक्षा, प्रोत्साहन और समर्थन के लिए काम करता है। बीपीएनआई नीति विश्लेषण, वकालत, सामाजिक लामबंदी, सूचना साझाकरण, शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण और आईएमएस अधिनियम के अनुपालन की निगरानी के माध्यम से कार्य करता है। बीपीएनआई विश्व स्तनपान रुझान पहल (डब्ल्यूबीटीआई) कार्यक्रम के लिए वैश्विक सचिवालय के रूप में कार्य करता है, जो नीतियों और कार्यक्रमों का विश्लेषण करता है और दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में देश स्तर पर कार्रवाई को गति प्रदान करता है। बीपीएनआई अंतर्राष्ट्रीय शिशु खाद्य कार्रवाई नेटवर्क (आईबीएफएएन) का हिस्सा है।

बीपीएनआई की नैतिक नीति

बीपीएनआई शिशु आहार, दूध की बोतलें या शिशु पोषण संबंधी उपकरण बनाने वाली कंपनियों से कोई धन या सहायता स्वीकार नहीं करता है। बीपीएनआई उन संगठनों से संबंध नहीं रखता है जिनका हितों का टकराव हो। बीपीएनआई सभी से विश्व स्तनपान सप्ताह मनाते समय इस नैतिक दृष्टिकोण का पालन करने का अनुरोध करता है।

लिखित और संपादित: डॉ.जेपी दाधीच, डॉ.अरुण गुप्ता और डॉ.नूपुर बिड़ला
डिज़ाइनर: अमित दहिया
हिंदी अनुवाद: डॉ. बीबी गुप्ता, डॉक्टर महिमा मित्तल, श्री प्रवीण दूबे गोरखपुर